300 शिक्षकों की याचिका : हाई कोर्ट ने 15 सितंबर तक सरकार से मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गुरुवार को क्रमोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर दायर 300 शिक्षकों की अलग-अलग याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआइ ने समान प्रकरणों में भेदभाव किया है। मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के विधि अधिकारियों ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सुनवाई की तारीख तय थी, तो तैयारी अधूरी क्यों रही। हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए 15 सितंबर तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। अब इन सभी याचिकाओं पर 15 सितंबर के बाद सुनवाई होगी। साथ ही याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी रिप्लाई (रिज्वाइंडर) दाखिल करने की अनुमति दी गई है।

शिक्षिका का केस बना टर्निंग पाइंट

शिक्षिका सोना साहू की याचिका पर हाई कोर्ट ने राज्य शासन को क्रमोन्नत वेतनमान और एरियर्स की राशि भुगतान का आदेश दिया था। सरकार ने शिक्षिका के खाते में वेतनमान और एरियर्स जमा भी कराए थे। हालांकि, शिक्षिका ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान कोर्ट को एरियर्स की राशि में कमी की जानकारी दी थी। इस पर अदालत ने कहा था कि आदेश में सभी बातें स्पष्ट होंगी। हाई कोर्ट का यह फैसला शिक्षकों के लिए टर्निंग पाइंट साबित हुआ। इसके बाद पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षक क्रमोन्नत वेतनमान को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे। जानकारी के अनुसार अब तक 27 हजार से अधिक शिक्षकों ने याचिकाएं दायर कर दी हैं, जिन पर क्रमवार सुनवाई शुरू होगी।

सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे पैरवी

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शिक्षकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-आन-रिकार्ड देवाशीष तिवारी ने हाई कोर्ट में पैरवी की। उनके साथ स्थानीय अधिवक्ता भी मौजूद रहे। याचिकाओं की पैरवी सर्व शिक्षक एलबी संवर्ग कल्याण समिति की ओर से की जा रही है।

अभ्यावेदन को विभाग ने किया खारिज

सोना साहू केस के बाद जिन शिक्षकों ने तुरंत याचिका लगाई थी, उन्हें हाई कोर्ट ने अभ्यावेदन देने और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इन शिक्षकों ने अभ्यावेदन पेश भी किया, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग और डीपीआइ ने उन्हें खारिज कर दिया। अब ऐसे शिक्षक भी पुनः हाई कोर्ट पहुंचे हैं। फिलहाल, सुनवाई में 300 याचिकाओं को एक साथ सुना गया और राज्य सरकार को 15 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है।